उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 1746-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/09-4-काविनी/94 दिनांक 19 दिसम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

सीधी भर्ती अथवा विभागीय परीक्षा/चयन के माध्यम से अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्त कर्मिकों, जिनका आगमन बिन्दु अवर अभियन्ता है, उन्हें दिनांक 02.03.2009 से तृतीय समयबद्ध वेतनमान अधीक्षण अभियन्ता पद का अनुमन्य कराये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 782-काविनी/पाकालि/09-04-काविनी/94 दिनांक 26 जून, 2009 के संशोधन में एतद्द्वारा, निम्नवत् आदेश किये जाते हैं :-

I- ऐसे अवर अभियन्ता, जिन्हें अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 18.02.09 तक अधिशासी अभियन्ता (वि०श्रे०) के पद का वेतनमान तृतीय समयबद्ध वेतनमान के रूप में स्वीकृत/देय है, उन्हें दिनांक 03.11.08 अथवा अग्रेतर यथा अनुमन्यता की तिथि (किन्तु 18.02.09 के पश्चात् नहीं) अधीक्षण अभियन्ता के पद का वेतनमान 16400-450-20000 (प्रारम्भिक वेतन रू० 17300/-) तृतीय समयबद्ध वेतनमान के रूप में अनुमन्य कराया जाता है।

II- उक्त आदेश के फलस्वरूप अवर अभियन्ताओं द्वारा दिये गये विकल्पानुसार, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड-वेतन का निर्धारण पुनरीक्षित वेतन संरचना विषयक आदेश संख्या 175-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09 दिनांक 19.02.2009 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

III- इस प्रकार सम्बन्धित कार्मिकों को, अपुनरीक्षित वेतनमान में मात्र वेतन निर्धारण का लाभ अनुमन्य होगा एवं विकल्प की तिथि/अनुमन्यता की तिथि, यथा प्रयोज्य के पश्चात् अपुनरीक्षित वेतनमानों में किसी प्रकार का अवशेष देय नहीं होगा। मात्र पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 03.11.2008 अथवा प्रस्तुत किये गये विकल्प के अनुसार वेतन पुनरीक्षण एवं अवशेष का लाभ कारपोरेशन के आदेश संख्या 175-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/ 09 दिनांक 19.02.2009 के अनुसार अनुमन्य होगा।

IV- उक्त के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिकों को संशोधित विकल्प 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।

V- कार्यालय ज्ञाप सं० 782-काविनी/पाकालि-29/09-04-काविनी/94 दिनांक 29.06.09, को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं0 1746-(1) काविनी एवं वे0प्र0 - 29 / पाकालि / 2009 - तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के निजी सचिव।
2- सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3- सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(क्रमशः.....2)

4- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, से सम्बद्ध मुख्य महाप्रबन्धक।
5- अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
6- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशम कारपोरेशन लि0, लखनऊ/केस्को, कानपुर/ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
8- समस्त निदेशकगण, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पा०का०लि0, बी–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
11- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
15- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
16- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0 प्र0 पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17- समस्त अधिकारी/अनुभाग उ0प्र0 पा०का०लि0(मु0) शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष स0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(मो० राशिद)
संयुक्त सचिव (कार्मिक)